Pushpa Chauhan
Professor Deptt of Economics
Vaishali Mahila College, Hajipur

सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

वर्तमान समाज में सरकार के आर्थिक एवं विकास सम्बन्धी कार्य बढ़ गए हैं। इन कार्यों में वृद्धि के फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार को कई साधनों से धन प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक सरकार द्वारा संसाधन जुटाने का एक उपाय है - सार्वजनिक ऋण।

सरकार के बढ़ते हुए खर्चे की पूर्ति उन आय से नहीं होती है जो करों तथा अन्य संसाधनों से प्राप्त की जाती है। कराधान से राजस्व या आय में बढ़ोतरी एक सीमा से ज्यादा नहीं की जा सकती है क्योंकि सुरक्षित सीमा से बाहर जाने पर घाटे का वित्त प्रबंधन मुद्रास्फीति बढ़ाता है। जब सरकार लगातार घाटे में चल रही है और अपने वित्तीय जरूरत की पूर्ति के लिए कर्ज लेती है तो सार्वजनिक ऋण बढ़ता है।

इस प्रकार सरकार को अपने राजस्व तथा खर्चे के अन्तर को पाटने के लिए तथा विकास ~~कार्यों की~~ प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है। अतः आधुनिक समय में उधार लेना सरकारी वित्त की सामान्य विधि बन गयी है।

अतः सार्वजनिक ऋण वह उधारी है जो सरकार देश के अन्दर बैंकों, व्यावसायिक घरानों, व्यक्तियों या अन्य वित्तीय संस्थानों से लेती है। आपातकाल के समय विदेशी राष्ट्रों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी उधार लेती है।

फिण्डले शिराज के शब्दों में - "सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जिसके भुगतान के लिए कोई सरकार अपने देश के नागरिकों अथवा दूसरे देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहती है।"

फिलिप ई. टेलर के अनुसार - "ऐसा ऋण जो राजकोष द्वारा जारी वचन पत्रों से इस आशय से प्राप्त होता है कि वचन-पत्रों के धारक को मूलधन तथा अधिकांश मामलों में ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा, सार्वजनिक ऋण कहलाता है।

जे. के. मेहता के अनुसार - "सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जिसे सरकार उन व्यक्तियों (संस्थाओं) को लौटाने के लिए बाध्य है जिनसे उसने ऋण लिया है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सार्वजनिक ऋण आम तौर पर बाण्ड के रूप में होता है। सरकार इन बाण्ड के धारकों को नियमित अन्तराल पर मूल राशि के अलावा अवधि के अन्त में एकमुश्त ब्याज की दर का भुगतान करता है। किसी देश के सार्वजनिक ऋण को GDP के सन्दर्भ में व्यक्त किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण (Classification of Public Debt)

सार्वजनिक ऋण का स्रोत, उपयोग, प्रकृति, अवधि, भुगतान, ब्याज आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है जो इस प्रकार है:

1. आन्तरिक एवं बाह्य ऋण - सरकार द्वारा अपने देश के भीतर आम नागरिकों, वित्तीय संस्था, बैंक, रिजर्व बैंक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जो ऋण लेती है उसे आन्तरिक ऋण कहा जाता है। जैसे - ऋणों को लेने के लिए सरकार पोस्ट ऑफिस से N.S.C जारी करती है यानि आम जनता से सरकार के पास क्रयशक्ति का हस्तान्तरण होता है जिससे वह अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा।

अगर सरकार उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेती है तो आय बढ़ता है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, आय के वितरण में समानता आती है। अनुत्पादक कार्यों के लिए लिए गए ऋण से जनता पर भार पड़ता है।

सरकार द्वारा विदेशी सरकारें, विदेशी बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, विश्व बैंक से लिया गया ऋण को बाह्य ऋण कहते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में ही सरकार द्वारा विदेशी ऋण लिया जाता है क्योंकि इससे सामान्य लोगों पर कर का भार ज्यादा पड़ता है।

आन्तरिक ऋण ऐच्छिक या अनिवार्य होता है परन्तु विदेशी ऋण ऐच्छिक होता है। आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण की तुलना में बेहतर होता है। बाह्य ऋण के मामले में ऋणी देश को भौतिक नुकसान होता है।

2. ऐच्छिक एवं अनिवार्य (Voluntary Debt and Compulsory Debt)—

ऐच्छिक ऋण आन्तरिक ऋण के ही प्रकार हैं। जब सरकार जनता से जनता की इच्छा आधारित ऋण प्राप्त करती है तो उसे ऐच्छिक ऋण कहा जाता है जैसे - इन्दिरा विकास पत्र, अल्प बचत योजनाएं आदि जिसे जनता चाहे तो खरीदें या नहीं खरीदें।

सरकार उधारी को जब कानूनी औपचारिकता के साथ लागू करती है तो उसे अनिवार्य ऋण कहा जाता है। सरकार अनिवार्य ऋण का सहारा असाधारण परिस्थितियों में ही लेती है जैसे - युद्ध, अकाल या मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए। यह विदेशों से नहीं लिया जा सकता है। 1964 में केन्द्र ने नागरिकों से अनिवार्य ऋण लिया था। आम तौर पर सार्वजनिक ऋण ऐच्छिक प्रकृति के होते

Contd.